न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/18/2019	21–05–2019	18–06–2019

1– रोशन मेहन्दीरता पुत्र रामलाल मेहन्दीरता जाति पंजाबी निवासी डी–102, आशियाना बगीचा, भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीया पुत्र श्योदान,
2– रामफल पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।
3– मैसर्स फ्रेंड्स रिलेटर्स जरिये दीपक कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम जाति महाजन निवासी ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।
4– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा लैण्ड होल्डर तिजारा जिला अलवर राजस्थान।
5– सुनील कुमार बावा पुत्र श्री मुरारीलाल बावा जाति पंजाबी निवासी बी–101, साउथ सिटी–1, गुडगांवा हरियाणा।
6– वन वर्ल्ड रियल टैक प्रा0 लि0, प्रथम मंजिल, सेन्ट्रम मॉल, एमजी रोड़, सेन्ट्रम रोड़, सुल्तानपुर नई दिल्ली।

–असल अप्रार्थीगण

7– शीशराम पुत्र श्री श्योदान,
8– रामफूल पुत्र श्री श्योदान जाति गुर्जर जरिये मुख्तयारआम सुबेसिंह पुत्र श्री हरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री राकेश कुमार –वकील प्रार्थी
02. श्री कैलाश कुमार यादव, प्रभात कुमार जैन –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शीशराम वगै0 बनाम श्रीया वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद बअनुवानी शीशराम वगै0 बनाम श्रीया वगै0 उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन है। असल अप्रार्थी रीडर व पीठासीन अधिकारी को अपने दबाव में लिया हुआ है। इसलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ मुकदमों में भी दो–दो चार–चार दिन की तारीख पेशीयां मुकर्रर की जाती है। शेष अन्य मुकदमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दो–दो दिन की तारीख देकर असल अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। असल अप्रार्थीगण को कोर्ट परिसर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय तिजारा में सरेआम कहते सुना है कि रीडर व पीठासीन अधिकारी उनकी जान–पहचान का है और उनका अच्छा परिचित है। वह उक्त मुकदमें का निस्तारण अपने हक में करा लेंगे। असल अप्रार्थीगण को प्रत्येक पेशीयों पर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए तथा चाय पीते हुए देखा गया है। पीठासीन अधिकारी तिजारा की गतिविधियां संद्विग्ध है तथा उनके द्वारा चुनिन्दा पत्रावलियों में नजदीकी तारीख पेशीयां लगाई जा रही है। बार ऐसोसिऐशन तिजारा को भी उपखण्ड अधिकारी तिजारा का व्यवहार व कार्यशैली तथा मनमाने ढ़ंग से चुनिन्दा पत्रावली में कार्य करने की शिकायत दिनांक 17.05.2019 को दी जा चुकी है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपनाये जा रहे व्यवहार व कार्यशैली संदिग्ध होने के कारण न्याय की उम्मीद नहीं है। उक्त मुकदमा किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि मुन्तकिल प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी तिजारा से न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। जबकि उपखण्ड अधिकारी तिजारा को उक्त प्रा0पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज़ फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकरी मुण्डावर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि किसी भी पक्षकार का रीडर व पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव नहीं है। पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन से पूर्व ही पत्रावली में छोटी तारीख पेशीयां नियत की गई है। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में किसी व्यक्ति का कोई आना जाना नहीं रहता। किसी पत्रावली में छोटी तारीख पेशी नियत कराने के लिये न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र पेश होता है। प्रतिपक्ष के अभिभाषक या पक्षकार को विधिवत् सूचित किया जाता है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत भी छोटी–छोटी तारीख पेशीयां नियत की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उपखण्ड अधिकारी तिजारा को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद जाहिर की है। जबकि उपखण्ड अधिकारी तिजारा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में राहत दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल रूपये 500/– की कॉस्ट पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी कॉस्ट की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी संशोधित प्रा0पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)